<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर</u>

<u>//ज्ञापन//</u>

क्रमांक– /एक–15–1/86 नरसिंहपुर, दिनांक– 11.12.2023

प्रति,

1. विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी), नरसिंहपुर
2. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, जिला न्यायाधीश, नरसिंहपुर/गाडरवारा
3. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अतिरिक्त, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नरसिंहपुर/गाडरवारा
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अति./व्यव0 न्याया0 कनिष्ठ खंड नरसिंहपुर/गाडरवारा/गोटेगांव/तेन्दूखेड़ा
5. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (की ओर माननीय महोदय को अवगत कराये जाने हेतु)

विषयः– दिनांक 09.12.2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के अधिक–से अधिक निराकरण किये जाने बावत्।

–––00–––

उपरोक्त विषय में सूचित किया जाता है कि **दिनांक 09.12.2023 को नेशलनल लोक अदालत आयोजित की गई है। माननीय कार्यपालिक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा दिए गये निर्देशों के पालन में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के मामले तथा राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों का अधिक–से अधिक निराकरण किया जाना है।**

अतः इस जिला स्थापना के समस्त न्यायाधीशगण को आदेशित किया जाता है कि **वे उनके न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों की सूची तैयार करें और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर को प्रेषित करें तथा बीमा कंपनी के अधिवक्तागण एवं दावेदार के अधिवक्तागण से प्री–सिटिंग करें तथा अन्य मामलों में अधिवक्तागण एवं पक्षकारों से परिचर्चा कर अधिक–से–अधिक मामलों का राजीनामा के आधार पर निराकरण कराने का सार्थक प्रयास करें।**

यह भी आदेशित किया जाता है कि राजीनामा योग्य प्रकरणों में सूचना–पत्र जारी किए जाये और उनकी तामीली पुलिस अधीक्षक, नरसिंहपुर के माध्यम से कराई जाए।

sd/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

नरसिंहपुर